



Neutral Citation No - 2026:AHC:29131

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2026 की 1911

रमेश गुप्ता

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : वेद प्रकाश मिश्र

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रांजल मेहरोत्रा

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के मौखिक निवेदन पर, उन्हें अधीक्षक, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुरारा, हमीरपुर को प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में पक्षसंयोजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वेद प्रकाश मिश्र तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह एवं प्रतिवादीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा को सुना गया।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



3. विपक्षी पक्षकारों ने संयुक्त रूप से यह कथन किया है कि वे कोई शपथ-पत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं करते तथा यह कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।

4. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका प्रारंभिक चरण पर ही निर्णीत की जा रही है।

5. रिट याचिकाकर्ता का पक्ष यह है कि रिट याचिकाकर्ता का चयन एवं नियुक्ति दिनांक 10.11.2012 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुरारा, हमीरपुर में रुपये 18,000/- मासिक मानदेय पर लेखाकार के पद पर की गई थी, किन्तु अब प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.12.2025 के माध्यम से रिट याचिकाकर्ता का स्थानान्तरण कुरारा, हमीरपुर से मुस्कुरा, हमीरपुर किया गया है।

6. उक्त स्थानान्तरण आदेश को चुनौती देते हुए वतमान याचिका प्रस्तुत की गई है।

7. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि संविदा कर्मचारी होने के कारण रिट याचिकाकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता था। **रिट-ए संख्या 12725/2023 (हेमन्त कुमार पाण्डेय एवं 5 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य)**, निर्णीत दिनांक 21.08.2023, पर निर्भरता व्यक्त की गई है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविदा कर्मचारी का स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता।

8. विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि यह रिट याचिका **हेमन्त कुमार पाण्डेय एवं 5 अन्य (उपरोक्त)** के निर्णय के प्रकाश में आच्छादित है और स्थानान्तरण नहीं किया जाना चाहिए था।

9. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया है तथा अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. प्रत्यक्षतः, रिट याचिकाकर्ता का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण किया जा रहा है, यद्यपि यह निर्विवाद है कि वह संविदा कर्मचारी है। **हेमन्त कुमार पाण्डेय एवं 5 अन्य (उपरोक्त)** में निम्नानुसार मत व्यक्त किया गया था:

"1. इस न्यायालय के दिनांक 17.08.2023 के आदेश के अनुपालन में, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, लखनऊ की ओर से उपस्थित श्री प्रांजल मेहरोत्रा ने निदेशक द्वारा दिनांक 18.08.2023 को जारी एक परिपत्र प्रस्तुत किया है जो दिनांक 10.07.2023 को जारी पूर्व सूचना/परिपत्र को पुनरावृत्त करता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत कर्मचारियों के संबंध में स्थानान्तरण नीति पहले से ही स्थगित है और यह कार्यालय-पत्र दिनांकित 24.07.2020 के माध्यम से समस्त संबंधितों को परिचालित किया गया है तथा दिनांक 18.08.2023 को उत्तर प्रदेश राज्य के मिशन निदेशक के अधीन कार्यरत समस्त जिलाधिकारियों/जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्षों को यह सुनिश्चित करने हेतु एक पत्र लिखकर सरोकार व्यक्त किया गया है कि संविदा आधार पर कार्यरत ऐसे कर्मचारियों का उस स्थान से, जहाँ के लिए ऐसे संविदा कर्मचारियों को नियोजन प्रदान किया गया है, किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरण न किया जाए। परिपत्र दिनांकित 18.08.2023 नीचे पुनरुत्पादित किया जा रहा है:"

प्रेषक,
मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य समिति,

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उ०प्र०।

पत्रांक: 10/एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एच०आर०/विविध/2023-24/4157 दिनांक
18.08.2023

विषय:- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संसाधन नीति, डैप-गाइडलाइन तथा विभिन्न पत्रों के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों की उपेक्षा विषयक।

महोदय/महोदया,

कृपया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव संसाधन नीति के चैप्टर-10 जोकि *Separation and Exit Formalities* से संबंधित है जिसके अन्तर्गत संस्था से अलग होने व सेवा समाप्ति से सम्बन्धित दिशा-निर्देश प्रदान किये गये हैं एवं मानव संसाधन नीति के अन्य दिशा-निर्देश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में प्रायः संज्ञान में आया है कि मानव संसाधन नीति में प्रेषित दिशा-निर्देशों तथा पत्र संख्या-197/ एस०पी०एम०यू० / डैप-एच०आर०/जी०आर०सी०/2018-19/12394- 75 दिनांक 07.03.2019 के माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों द्वारा कार्य में अनिमित्यता पाये जाने के विरुद्ध प्रेषित प्रक्रिया की उपेक्षा कर कतिपय जनपदों द्वारा संविदा कर्मियों के सेवा समाप्ति का निर्णय जिला स्वास्थ्य समिति में प्रस्तावित किये बिना ही ले लिया जाता है, व सम्बन्धित कर्मों को अपना पक्ष रखने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जाता, जोकि नियमों के विरुद्ध है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उक्त के क्रम में आपसे आपेक्षित है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी संविदा कर्मों की सेवा समाप्ति किये जाने से पूर्व निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना तथा सम्बन्धित कर्मों को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया जायें, यदि उक्त के उपरान्त भी साक्ष्य एवं नियमों के आधार पर किसी संविदा कर्मों की सेवा समाप्ति की जाती है तो उक्त हेतु उचित आदेश तथ्यों सहित सम्बन्धित को निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० की वेबसाइट www.upnrhm.gov.in पर उपलब्ध नोटिस संख्या: 150/एस०पी०एम०यू०/ डैप-एच०आर०/2020-21/1628 दिनांक 10.07.2020 माध्यम से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,

उ०प्र० के अन्तर्गत जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू स्थानान्तरण नीति आगामी वित्तीय वर्षों हेतु तक स्थगित की चुकी है। उपरोक्त सूचना कार्यालय ज्ञाप संख्या: 150/एस०पी०एम०यू०/ डैप-एच०आर०/स्था०/2020-21/1909-11 24.07.2020 के माध्यम से समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को भी प्रेषित की गयी है। दिनांक

परन्तु प्रायः संज्ञान में आया है कि कतिपय जनपदों द्वारा बिना किसी आधार पर कर्मियों का स्थानान्तरण कर दिया जाता है जोकि नियम विरुद्ध है। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जनपदों द्वारा किये गये स्थानान्तरणों की जिम्मेदारी राज्य द्वारा व्यहृत नहीं की जायेगी तथा उक्त के सम्बन्ध में यदि कोई न्यायिक कार्यवाही होती है तो जनपद स्वयं उसके लिए जिम्मेदार होगा।

उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि समय-समय पर जनपद में कार्यरत कर्मियों के कार्य की समीक्षा की जाये तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० के अन्तर्गत जनपदों पर कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु लागू मानव नीति, डैप-गाइडलाइन एवं अन्य पत्रों के माध्यम से प्रेषित दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संलग्नक: यथोपरि। भवदीया,

ह० अप०

(डा०पिंकी जोवल)

मिशन निदेशक

2. मिशन निदेशक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रांजल मेहरोत्रा का कथन है कि यदि उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निदेशालय के तत्वावधान में स्वास्थ्य मिशन परियोजना के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया जाता है, तो ऐसे कृत्य एवं आचरण के लिए अब व्यक्ति अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

3. उपर्युक्त के दृष्टिगत, अतः मैं आदेश दिनांकित 20.07.2023 को पोषणीय नहीं पाता।

4. इस चरण पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह का निवेदन है कि याचिकाकर्ता एवं अन्य ऐसे कर्मचारियों के संबंध में आदेश दिनांकित 20.07.2023 को प्रत्याहृत कर लिया गया है और उन्हें भविष्य में अपने आचरण एवं व्यवहार में सुधार करने की चेतावनी दी गई है, अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 03.08.2023, जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसे अभिलेख पर लिया जाता है। प्रतीत होता है कि जिन कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया था, वे संतोषजनक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे थे और तदनुसार उन्हें अपने कार्य में सुधार करने की चेतावनी निर्गत की गई, अन्यथा अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारंभ की जाएंगी।

5. इन परिस्थितियों में, अतः न्यायालय का सुविचारित मत है कि आक्षेपित आदेश के संबंध में कोई अग्रिम आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को यह निर्देशित किया जाता है कि वे उत्तर प्रदेश राज्य के जनपदों में कार्यरत समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को मिशन में कार्यरत संविदा

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कर्मचारियों के स्थानान्तरण के संबंध में मिशन निदेशक के परिपत्र दिनांकित 10.07.2020, 24.07.2020 एवं 18.08.2023, जो उपर्युक्त पुनरुत्पादित हैं, का अनुवर्तन करने हेतु परिपत्र निर्गत करें।

6. इन प्रेक्षाओं एवं निदेशों के साथ यह याचिका निस्तारित की जाती है।

7. कुलसचिव (अनुपालन) आवश्यक अनुवर्तन हेतु इस आदेश को 24 घंटे के भीतर उत्तर प्रदेश राज्य के प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ को संसूचित करेंगे।"

11. इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि पक्षकार इस बात पर सहमत हैं कि वर्तमान प्रकरण **हेमन्त कुमार पाण्डेय एवं 5 अन्य (उपरोक्त)** से आच्छादित है और स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता था, अतः इस न्यायालय के पास रिट याचिका अनुज्ञात करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

12. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हमीरपुर अर्थात् प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांकित 16.12.2025 अपास्त किया जाता है जहाँ तक उसका संबंध रिट याचिकाकर्ता से है।

13. तदनुसार, रिट याचिका अनुज्ञात की जाती है।

10 फरवरी, 2026

आशु

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"